न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/33)

केन्द्रीय राज्य फार्म (CSF) सूरतगढ जरिये चंचल शाह सहायक जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) वर्तमान पदस्थापित फार्म हैड CSF सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

निर्णय **दिनांकः 12.11.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18.09.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील संख्या 21/2016 अनवान केन्द्रीय राज्य फार्म (CSF) सूरतगढ बनाम स्टेट, वगैरह के निर्णय दिनांक 18.09.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 18.09.2023 एवं इंतकाल संख्या 1 दिनांक 20.06.2016 को निरस्त फरमाने तथा राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का आदेश दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आदेश जेर अपील खिलाफ कानून,उसूल इंसाफ व रूहेदाद मिसल है, जो काबिले मंसूखी है। जैर अपील इन्तकाल संख्या 1 दिनांक 20.06.2016 विधि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्व अनुचित है जो प्राकृति न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ है। प्रश्नगत भूमि केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय ने राजस्थान सरकार से पूर्ण स्वामित्व के अधिकार सहित क्रय की है तथा विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1983 से पूर्व उक्त भूमि के विलंगम समस्त प्रकार के हक एवं अधिकार खाला–रास्ता पेड़ व अन्य सुखाधिकार अपीलान्ट में निहित हुये। इस भूमि में से प्रश्नगत भूमि में कोई खाला स्वीकृत नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह विदित था कि प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट के पूर्ण स्वामित्व की है तथा इस भूमि अपीलान्ट के स्वत्व की भूमि में किसी भी प्रकार की प्रविष्टि करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना जाना कानूनन अनिवार्य था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी शक्तियों का गलत, अनुचित एव विधि विरूद्व रूप से प्रयोग कर अपीलान्ट की भूमि मे से गैरमुमकिन खाला का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रश्नगत खाला सिंचाई अभिलेख में स्वीकृत होने का मिथ्या कथन किया है। यदि वास्तव में यह खाला स्वीकृत होता तो इस खाला पर किसी काश्तकार की बारी अवश्य बन्धी होती तथा बाराबन्दी प्रस्ताव तैयार होते। यह भूमि सन् 1956 से केन्द्रीय यांत्रिकी फार्म (Central Mechanised Farm) के अधिपत्य में थी व कालान्तर में सन् 1969 में उक्त फार्म, केन्द्रीय राज्य फार्म अन्तर्गत भारतीय फार्म निगम में विलय हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथित रूप से चक 36 एसटीजी के काश्तकारो की मांग पर इस खाला को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का विधि विरूद्व आदेश दिया था, जबकि चक 36 एस.टी.जी. की भूमि के लिये RPM वितरिका से सिचाई हो रही है फिर भी अपीलान्ट के स्वत्व भूमि में खाला स्वीकृत करने का अधिकार नही था। उन्होने बहस के दौरान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 हनुमानगढ अपील प्रकरण सं. 01/2017 महेन्द्र कुमार वगैरह बनाम सेन्ट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ वगैरह आदेश दिनाक 04.10.2024 का कथन करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2023 का है, केन्द्रीय फार्म (CSF) सूरतगढ के अधिकारी व कर्मचारियो की राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ड्यूटी लगी होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे । अपीलान्ट अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के लिए दफा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। दफा–5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अपील हर दो अदालते निरस्त फरमाया जावे व इंतकाल संख्या 1 दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत प्राथमिक कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी.सी पर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है जिसकी मियाद 60 दिन की होती है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2023 के विरूद्व दिनांक 01.12.2023 को अपील प्रस्तुत की गई जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपीलान्ट के वकील, प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर थे, दोनो पक्षो की बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया था। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.09.2023 को नकल के लिए आवेदन किया जिसकी प्रति दिनांक 27.09.2023 को प्राप्त हो गई थी। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त करने के बाद भी दिनांक 01.12.2023 को अपील पेश की जो मियाद बाहर थी। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। उन्होने बहस के दौरान आगे कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 10.6.16 के आदेश की पालना में भरा गया इन्तकाल संख्या 1 दिनांक 20.6.16 के विरूद्व अपील पेश की जो डिफेक्टिव है। अपील आदेश के विरूद्व पेश होती है ना कि आदेश की पालना में भरा गया इन्तकाल के विरूद्व। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी की परमिशन भी नही ली गई है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2002 पृष्ठ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

332, RRD 1999 पृष्ठ 98, RBJ (28) 2021, RRD 2008 पृष्ठ 587, RRD 1993 पृष्ठ 413, RRD 1994 पृष्ठ 276, RRD 2008 पृष्ठ 755, RRD 1993, पृष्ठ 232, RRD 2011, पृष्ठ 786, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18.09.2023 के विरूद्व पेश की गई है, रेस्पोडेन्ट एवंम् अधीनस्थ न्यायालय दोनो द्वारा मुख्यतः यह बिन्दु उठाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में XEN जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ के नाम नामान्तरकरण दिनांक 10.6.16 को दर्ज करने के आदेश हुवे एवम् नामान्तरकरण दिनांक 10.06.16 को दर्ज होने पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 20.06.16 को स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में दर्ज नामान्तरकरण दिनांक 10.6.16 को चुनौति दी जानी थी न कि स्वीकृत आदेश दिनांक 20.06.16 को ऐसी स्थति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज नामान्तरकरण की न होकर स्वीकृत आदेश दिनांक 20.06.16 की होने पर उसे खारिज कर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर